20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

44

समक्षः– श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पु.प.क. :– प्रस्तुत दिनांक

विविध–4611/2018/सिवनी/भू.रा.

सुमरू महरा वल्द गंगू मेहरा
निवासी ग्राम मानेगांव तहसील
व जिला सिवनी म.प्र.
मृत द्वारा– पुत्र महेश वल्द सुमरू
निवासी ग्राम मानेगांव तहसील
व जिला सिवनी म.प्र. ———————— आवेदक

629

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुक्रमांक 2152 20 JUL 2018 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

विरूद्ध

शासन

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 सहपठित धारा 32 म.प्र.भू.रा.सं. वास्ते पूर्व आदेश में हुई मुद्रण त्रुटि को दुरूस्त किये जाने बाबद।

आवेदक की ओर से विनम्र निवेदन है कि :–

1. यह कि, माननीय महोदय के समक्ष आवेदक के पिता सुमरू मेहरा द्वारा एक निगरानी प्रकरण क. 3888–एक/2016 पक्षकार सुमरू मेहरा विरूद्ध म.प्र. शासन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय महोदय द्वारा दिनांक 04.01.2017 को आदेश पारित किया गया था, जिसके अनुसार आवेदक की निगरानी स्वीकार की गई थी, और तहसीलदार सिवनी को यह निर्देश दिया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि पर अहस्तांतरणीय विलोपित किया जावे।

2. यह कि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानीयुक्त प्रकरण के तथ्य यह थे, कि आवेदक सुमरू वल्द गंगू मेहरा ने ग्राम मानेगांव तहसील व जिला सिवनी में स्थित आराजी

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांकः– विविध/4611/2018/सिवनी/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-8-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय गौतम एवं आवेदक सुमरू मेहरा पुत्र श्री गंगू मेहरा निवासी ग्राम मानेगांव तहसील व जिला सिवनी स्वयं उपस्थित होकर उनके द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 सहपठित धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि इस न्यायालय का प्रकरण कमांक निगरानी 3888–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 04/01/17 के द्वारा निगरानी स्वीकार की गई थी। जिसमें आदेश के अंतिम पैरा में नीचे से दूसरी लाईन में अहस्तातंरणीय शब्द लेख किया गया है उसे विलोपित कर सेवा खातेदार शब्द अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक सुमरू मेहरा का अनुरोध स्वीकार किया जाकर आदेश के अंतिम पैरा में नीचे से दूसरी लाईन में अहस्तातंरणीय शब्द के स्थान पर सेवा खातेदार शब्द पढा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। शेष आदेश यथावत् रहेगा। सदस्य	